



राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)
National Water Development Agency
Ministry of Jal Shakti, Government of India
(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)



No. NWDA/ Admn./RTI/12/1/2022/ 334-35

Dated: 13 January, 2023

To

Gaurav Kumar
Vill- Fatehpur, P.O.- Fatehpur,
P.S.- Didarganj, Patna,
Bihar- 800007.

Subject:- Information sought under Right to Information Act, 2005.

Sir,

I am directed to refer to your online RTI application vide Registration No. NWDAY/R/E/22/00086 dated 16.12.2022 and to attach the desired information sought by you.

2. यदि आप उपरोक्त उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो पत्र पाने के 30 दिन के भीतर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 के अंतर्गत रा.ज.वि.अ. में प्रथम अपीलीय अधिकारी को अपील कर सकते हैं। अपीलीय अधिकारी का विवरण निम्नानुसार है:-

श्री बालेश्वर ठाकुर,
मुख्य अभियंता (मुख्या.) एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी,
रा.ज.वि.अ. 18-20 सामुदायिक केन्द्र,
साकेत, नई दिल्ली-110017
(e-mail Id -cehqnwda@rediffmail.com)
फोन नं. 26852735.

भवदीय,

(चिरब्रत सरकार)
निदेशक (प्रशा.) एवं सीपीआईओ
☎ 26535141

प्रतिलिपि : निदेशक (एम.डी.यू.), रा.ज.वि.अ., नई दिल्ली इसे रा.ज.वि.अ. की वेबसाइट पर अपलोड कराने की कृपा करें ।